न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश केन्द्र ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2015 निगरानी निगरानी 691-II-15

राजीव पिता सुरेशचन्द्र जैन
निवासी–ग्राम भाटपचलाना, तहसील बड़गर
जिला उज्जैन ....आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती पुष्पा पति श्री पारसमल जैन
निवासी–कानवन तह. बदनावर जिला धार
––अनावेदक

<u>पुनर्निरिक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता</u>

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 374/13–14 अपील मे पारित आदेश दिनांक 24/02/15 से असंतुष्ट एवं दुःखित होकर निम्न कारणो के आधार पर अपील अंदर अवधि प्रस्तुत करता है :–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि एवं विधान के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय ने आवेदक द्वारा उठाये गये वैधानिक बिन्दुओं का न तो सही रूप से उल्लेख किया है न ही उनका कोई निराकरण किया है तथा बिना किसी वैधानिक कारण के अधीनस्थ न्यायालय के दोनो समवर्ती निष्कर्ष के विपरीत जाकर आदेश पारित कर दिया है जो प्राथमिक दृष्टि में ही विधि, विधान एवम् प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

3. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय ने साक्षियों के कथन की विधिवत विवेचना किये बगैर कल्पना के आधार पर तहसील द्वारा दिये गये आदेश को गलत आधार लेकर निरस्त किया हैं तथा अनुविभागीय अधिकारी महोदय के आदेश को भी बिना किसी वैधानिक कारण के निरस्त किया है । अधीनस्थ न्यायालय का यह आदेश विधि, विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

4. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय ने रेकार्ड का सही रूप से अवलोकन ही नही किया है तथा न ही आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क एवम् न्याय दृष्टान्तों पर कोई विचार किया है । अनावेदक द्वारा अपने अपील में जो बिन्दु अवैधानिक तरीके से उठाये हैं उन

निरन्तर.............2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-691-दो/15 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/12/18	प्रकरण का अवलोकन किया यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 374/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 24.02.2015 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक ने तहसीलदार तहसील बड़नगर के समक्ष संहिता की धारा 115, 116 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर लेख किया कि ग्राम बरडिया में भूमि सर्वे नं. 185/2 रकबा 1.55, सर्वे नं. 460 रकबा 3.32 हे. कुल किता 02 कुल रकवा 4.87 हे. अनावेदिका के नाम से स्थित चली आ रही है। तथा आवेदक उक्त् भूमि पर विगत 20 वर्षों से अधिक समय से बिना किसी रोक टोक के कब्जा मालिक नाते चला आ रहा है। जिस पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 18.01.2012 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर खसरे कॉलम नं. 12 आवेदक का कब्जा 2011-12 एक वर्ष के लिए इन्द्राज किए जाने के आदेश दिए गए। जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 19.06.2014 द्वारा निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त् आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 24.02.2015 द्वारा निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ प्रकरण में उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा लिखित तर्क हेतु समय चाहा गया था और इस हेतु उन्हें 15 दिवस का समय दिया गया था, परंतु लिखित बहस केवल अनावेदिका की ओर से की गई है। अतः प्रकरण का निराकरण	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी में दिए गए आधारों पर किया जा रहा है। निगरानी मेमो में आवेदक की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी उचित एवं वैध कारण के दोनों तामील पर भृत्य कैलाशचन्द्र के हस्ताक्षर को संदेहास्पद माना है जबकि जो भृत्य तामील कराने जाता है उस तामील पर स्वाभाविक है कि उसी भृत्य के हस्ताक्षर होंगे। विधान में कही भी यही प्रावधान नहीं है कि एक तामील पर ही भृत्य के हस्ताक्षर होंगे और दूसरी तामील पर दूसरे भृत्य के, भू-राजस्व संहिता के शैड्यूल एक में दिए गए नियम एवं प्रावधान को देखे व समझे बगैर उसके विपरीत निष्कर्ष निकालकर आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने वैधानिक त्रुटि की है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि विधान में यह प्रावधान है कि समवर्ती निष्कर्ष के विपरीत द्वितीय अपील न्यायालय को आदेश पारित नहीं करना चाहिए, अगर करना है तो उन दोनों आदेश को निरस्त करने के संबंध में स्पष्ट कारण देना चाहिए। मौजूदा प्रकरण में द्वितीय अपील न्यायालय ने अपने आदेश में सही निष्कर्ष निकाले हैं मात्र सरसरी तौर पर जो आदेश पारित किया है वह विधान के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा प्रकरण में विधिवत साक्ष्य ली है तथा स्थल निरीक्षण भी किया है तथा आसपास के कृषक जालम सिंह, पुखराज, सुरेश, अशोक आदि के कथन लेकर प्रकरण का निराकरण किया है। अनावेदक की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के समय कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत नहीं की गई है। आवेदक की अखंडनीय साक्ष्य के आधार पर जो आदेश अनुविभागीय अधिकारी ने दिया है वह अपने स्थान पर उचित एवं वैध था उसे बिना किसी वैध कारण के निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। 4/ अनावेदक की ओर से लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदक को विधिवत कोई भी सूचना-पत्र जारी नहीं किया और अनावेदक को कोई सूचना-पत्र भी प्राप्त नहीं हुआ तथा गलत ढंग से आवेदक ने	

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-691-दो/15 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	नोटिस तामील कराने वाले से मिलकर असत्य रिपोर्ट लगवाकर अनावेदक के विरुद्ध एकपक्षीय करवाया था। जबकि अनावेदक ग्राम कानवन तह0 बदनावर में निवास करती है तथा बड़नगर तहसील से बदनावर तहसील का सूचनापत्र तामील हेतु भेजा जाना चाहिए परंतु बदनावर तहसील को कोई सूचना-पत्र ही नहीं भेजा गया तथा बड़नगर के तरमील कुनीन्दा को बदनावर तहसील की तामील कराने का अधिकार नहीं है तथा तामील कुनीन्दा ग्राम कानवन गया ही नहीं। इस प्रकार स्पष्ट है कि आवेदक ने मिलजुल कर साठ-गांठ करके अवैध रूप से अनावेदक के विरुद्ध एकपक्षीय करवाया था इस बिन्दु पर अपर आयुक्त ने अपने आदेश में खुलासा करते हुए सही आदेश पारित कर तहसील का आदेश निरस्त किया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में नवीन कब्जा इन्द्राज किए जाने हेतु आवेदन-पत्र संहिता की धारा-115, 116 के तहत प्रस्तुत किया था जबकि तहसील न्यायालय को नवीन कब्जा इन्द्राज किए जाने के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत आर.एन. 2007 पेज 199 पर प्रकरण रामस्वरूप विरुद्ध कलावती तथा अन्य के प्रकरण में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि, धारा-115, 116 भू-राजस्व संहिता अधिकार अभिलेख में किसी का कब्जा अभिलिखित करने के लिए अधिकारिता नहीं है तथा तहसीलदार को कब्जा अभिलिखित करने का कोई उपबंध नहीं है। इस प्रकार उक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को नवीन कब्जा अभिलिखित करने का कोई अधिकार नहीं होने से गलत इन्द्राज किया गया था जिसे अपर आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 24.02.2015 अनुसार निरस्त करते हुए सही आदेश पारित किया गया है।	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक होकर सही पारित किया गया है तथा उक्त आदेश में विधि के सभी बिन्दुओं का एवं प्रकरण के तथ्यों का सूक्ष्म परीक्षण किया गया है। उक्त आदेश के विरुद्ध कोई कानूनी बिन्दु आवेदक द्वारा नहीं उठाया गया है इस प्रकार अपर आयुक्त का आदेश सही होने से आवेदक की उक्त् निगरानी आवेदन असत्य व बेबुनियाद आधारों पर की गई है इसलिए आवेदक की उक्त निगरानी निरस्तनीय है। 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। यह प्रकरण खसरे के कॉलम नं. 12 में कब्जा दर्ज करने के संबंध में है, जो आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा अनावेदिका पर नोटिस की विधिवत तामील हुए बिना कब्जा दर्ज करने का आदेश दिया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत 2007 आर.एन. 199 अवलोकनीय है। उकत् न्यायदृष्टांत में यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा-115, 116 भू-राजस्व संहिता अधिकार अभिलेख में किसी का कब्जा अभिलिखित करने के लिए अधिकारिता नहीं है तथा तहसीलदार को कब्जा अभिलिखित करने का कोई उपबंध नहीं है। अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदिका द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में प्रकरण के तथ्यों से अलग हटकर आदेश पारित किया गया है। उक्त कारणों से अपर आयुक्त द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों को निरस्त करने में कोई अवैधानिक कार्यवाही नहीं की गई है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि तहसीलदार द्वारा अनावेदिका को कोई नोटिस नहीं भेजा गया बल्कि तहसीलदार बदनावर के माध्यम से नोटिस भेजने की खानापूर्ति भृत्यं कैलाशचन्द्र से टीप अंकित करवाकर की गई है और अनावेदिका के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया गया है। चूंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों से हटकर विक्रय-पत्र के आधार पर पुष्पाबाई के नाम किए गए नामांतरण को भी निरस्त किया	

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-691-दो/15 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	गया है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त का आदेश उचित, न्यायिक एवं औचित्यपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है एवं अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2015 स्थिर रखा जाता है। उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हो। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	